प्रेस नोट–88 / 2026
दिनांक 10.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या तथा मीरजापुर इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 10.02.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या एवं मीरजापुर इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन अयोध्या इकाई द्वारा अंकुर सिंह निवासी ग्राम रामपुर जनक थाना बाबा बाजार जनपद अयोध्या से पंजीकृत कराये गये मुकदमे में आरोप पत्र लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में थाना इन्हौना गेट के दक्षिण तरफ साहू चाय दुकान के पास से **उ0नि0 राजेश चन्द्र पाल (थाना इन्हौना अमेठी)** पुत्र जय प्रकाश निवासी ग्राम भिरवापुर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर **2-लवदीप (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र साहब प्रसाद निवासी ग्राम पूरेदुल्ला का पुरवा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मीरजापुर इकाई द्वारा श्री अनिल कुमार निवासी भटपुरवा थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर से नामान्तरण आदेश जारी करवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में भऊइना चौराहा के पास से चकबन्दी लेखपाल **अरूण कुमार (भेसोडसर पहाड तहसील लालगंज मीरजापुर)** पुत्र अमरनाथ निवासी पिलकिध थाना खुटहन जनपद जौनपुर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–89/2026
दिनांक 10.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना साहिबाबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 10.02.2026 को थाना साहिबाबाद, थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन साहिबाबाद, अण्डरपास के पास से 04 अभियुक्तों 1–रोशन 2–निमिष 3–रघु 4–अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.02.2026 को थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त से शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रघु के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग, अभियुक्त निमिष के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त रोशन व अमन के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोशन निवासी ग्राम गोपाल चक थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

2–निमिष निवासी मोतीबाग थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3–रघु निवासी सेक्टर–25 प्रहलाद विहार थाना साबा डेयरी दिल्ली।

4–अमन निवासी संजय विहार आवास विकास कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना चोपन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा थाना चोपन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त देवशाह को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना को0बांसी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना को0बांसी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/328 व 376डी,ए भादवि सपठित धारा 5छ/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अशर्फी 2–नरायन को कठोर आजीवन कारावास व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

प्रेस नोट–90 / 2026
दिनांक 10.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 10.02.2026 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में **श्री अखिलेश मेहरोत्रा सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी** के दिनांकः 03.02.2026 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक-सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

स्वर्गीय अखिलेश मेहरोत्रा जी का जन्म 18 नवम्बर, 1948 को जनपद लखनऊ में हुआ था। वे वर्ष 1976 में "प्रान्तीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये तथा वर्ष 1993 में "भारतीय पुलिस सेवा" में प्रोन्नत होकर प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे। दिनांकः 30.11.2008 को वह अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हुये। अखिलेश मेहरोत्रा जी का दिनांकः 03.02.2026 को दुःखद निधन हो गया। स्वर्गीय अखिलेश मेहरोत्रा जी अपने पीछे दो पुत्र व उनका भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

स्वर्गीय अखिलेश मेहरोत्रा जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। स्वर्गीय अखिलेश मेहरोत्रा जी का लगभग 32 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान उन्हें गणतंत्र दिवस 2000 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' से सम्मानित किया गया। स्वर्गीय अखिलेश मेहरोत्रा जी अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।